संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

(17)

आज दिनांक 18.012.2012 से 21.12.2012 तक भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री आशीष कोठारी, वन रक्षक, श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, वन दरोगा, रायपुर रैंज बांदल–2 बीट, राजस्व विभाग की ओर से श्री ए0पी0उनियाल पटवारी लुवार्खा, प्रस्ताव विभाग की ओर से श्री खुशवन्त शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री बचन सिंह मल्याल, अमीन, श्री रामानन्द नौटियाल, कार्य अभिकर्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया । संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपर्युक्त परियोजन हेतु आरक्षित वन भूमि श्रीपुर कक्ष सं0–1 में कुल 1875.00 मी0 लम्बाई में आती है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1.3125 है0, वन पंचायत भूमि श्रीपुर तथा मथेट गांव में कुल 2375.00 मी0 लम्बाई में आती है जिसका कुल क्षेत्रफल 1.6625 है0, एवं नाप भूमि श्रीपुर तथा मथेट गांव में कुल 750.00 मी0 लम्बाई में आती है। जिसका कुल क्षेत्रफल 0.675 है0 है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत् कार्य जनहित में किया जाना है। क्षेत्रफल का घनत्व लगभग 0.5 है।

आवेदित वन भूमि जिसमें वृक्षों का पातन किया जाना है। उनकी सूची संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्नलिखित तालिका के अनुसार वन भूमि की आवश्यकता होगी।

क्र0सं0	प्रस्तावित मोटर मार्ग में आने वाली भूमि का विवरण	प्रस्तावित कार्य	सिविल भूमि की लम्बाई चौड़ाई (मीटर में)		
			लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल है0 में
1	वन पंचायत भूमि	मोटर मार्ग	2375.00	7.00	1.6625
2	आरक्षित वन भूमि	मोटर मार्ग	1875.00	7.00	1.3125
		योग	4250.00		2.975

आशीष कोठारी
वन रक्षक
रायपुर रैंज

सुरेन्द्र सिंह रावत
वन दरोगा
रायपुर रैंज

रामानन्द नौटियाल
कार्य अभिकर्ता
लो0नि0वि0, थत्यूड

बचन सिंह मल्याल
अमीन
लो0नि0वि0, थत्यूड

खुशवन्त शर्मा
कनिष्ठ अभियन्ता
लो0नि0वि0, थत्यूड

ए0पी0 उनियाल,
राजस्व उप निरीक्षक
लुवाखा
राजस्व उप निरीक्षक लुवाखा तहसील-धनोल्टी, (टि0ग0)

तहसीलदार
धनोल्टी
टिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी
धनोल्टी
टिहरी गढ़वाल

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून
मसूरी वन प्रभाग

सहायक अभियन्ता
अ0ख0,लो0नि0वि0
थत्यूड़

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लो0नि0वि0
थत्यूड़

प्रतिहस्ताक्षरित
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

G:\Uniyalgon_se_Haweli_(Satyo)_M.doc

www.oxpdf.com

११९

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, Ty. Division, P.W.D Thature (Tehri Garhwal), for "Construction of R.K.K Motor Marg to Bharwakatal-Sripur Motor Marg (Length- 5.00K.M)" under FCA-1980 of 2.975 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of, "Construction of R.K.K Motor Marg to Bharwakatal-Sripur Motor Marg (Length- 5.00K.M)". The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 25-10-2013 .

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserve Forest + Prevate Forest + Civil Forest (RF 1.3125 ha. + PF 0.00 ha.+CF 1.6625 ha.) = 2.9750 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

No rare/endagered/unique species of flora and fauna is found in the area. No protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area.

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) AS such, recommendation is being provided.

Recommended

(Signature)

Name (Dr. Dheeraj Pandey)
Designation..प्रभागीय वनाधिकारी...
Office Seal मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Place - Mussoorie
Date – 11.03.2014

N.B x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 ha. of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 ha. of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

www.oxpdf.com